THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SHYAM LAL YADAV): (a) and (b) The State Government reported an expenditure of Rs. 1785.27 lakhs. On the basis of eligible expenditure, advance plan assistance of Rs. 1530.00 lakhs and an amount of Rs. 12.50 lakhs as a part of Central share of margin money were released to the State Government.

गेहूं की वसूली

1370. **श्री राम जेठमलानी :**
श्री राम नरेश यादव :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष के लिए गेहूं की वसूली के लिए सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका ;

(ख) यदि हां, तो निर्धारित लक्ष्य क्या था तथा सरकार द्वारा वस्तुतः कितनी वसूली की गई ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पिछले वर्ष की तुलना में गेहूं उत्पादन में कुछ गिरावट आई है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा कम वसूली किये जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी. एल. बैठा) : (क) और (ख) गेहूं की वसूली मूल्य समर्थन परि-चालनों के अधीन की जाती है । अतः वसूली का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है । चालू विपणन मौसम के दौरान, 29 जुलाई, 1988 तक 65.17 लाख मीटरी टन गेहूं की वसूली कर ली गई है ।

(ग) अनन्तिम अनुमान के अनुसार 446.2 लाख मीटरी टन गेहूं का उत्पादन होगा जबकि पिछले वर्ष 455.7 लाख मीटरी टन गेहूं का उत्पादन हुआ था ।

(घ) इस वर्ष वसूली पिछले वर्ष की तुलना में कम हुई है । इसके कारण कम उत्पादन होना, बाजार भाव समर्थन मूल्य से अधिक होना और व्यापारियों तथा मिल मालिकों द्वारा अधिक खरीद-दारिया करना है ।

गेहूं की वसूली

1371. **श्री राम नरेश यादव :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा की गई गेहूं की वसूली निर्धारित लक्ष्य से कम रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वसूली के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार ने गेहूं की बकाया मात्रा का आयात करने का निर्णय किया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने यह घोषणा की थी कि भारतीय खाद्य निगम प्रत्येक आटा मिल को 240/- रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं देगा; और

(घ) यदि हां, तो क्या आटा मिल मालिकों ने इस घोषणा के किये जाने के कारण किसानों से वसूली मूल्य से ज्यादा मूल्य पर गेहूं की खरीद की है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी. एल. बैठा) : (क) गेहूं की वसूली मूल्य समर्थन परिचालनों के अधीन की जाती है । अतः कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं ।

(ख) सरकार ने बफर स्टाक की भरपाई करने के लिए 1988-89 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका से 2.0

लाख मीटरी टन गेहूं का आयात करने के प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया है ।

(ग) जी, हां । भारतीय खाद्य निगम उसके अपने पास पड़े हुए स्टाक की समूची उपलब्धता के अन्दर रहते हुए, 25 मार्च, 1988 से रोलर फ्लोर मिलों को 240/- रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं बेच रहा है ।

(घ) फ्लोर मिलिंग उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर देने के बाद मिले किसी भी स्रोत से गेहूं खरीदने में स्वतंत्र हैं और इसलिए, वे इसे खरीद रही है ।

Purchase of ships by MSTC/MMTC

@@1372. SHRI SHANKER SINH VAGHELA: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) what is the number of ships purchased by the Metal Scrap Trading Corporation/Metals and Minerals Trading Corporation (MMTC) for ship-breaking industry during each of the last three years and current year, so far;

(b) what is the number of ships required for the ship-breaking yards in Gujarat and also the number supplied to each one of them during the said period; and

(c) what steps have been taken and are proposed to be taken to meet the requirement?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR): (a) Vessels purchased by MSTC for breaking during the last three years and current year are as under:

Year	Number of Ships
1985-86	91
1986-87	75
1987-88	22
1988-89	30
(TILL 31-7-88)	

@@Previously Unstarred Question 964, transferred from 3rd August, 1988.

(b) There are two ship breaking yards in Gujarat, namely, Alang and Sachana, where 63 and 11 units exists respectively. Owing to variations in the sizes of ships entitlements for these units are fixed in terms of tonnage and not in numbers. The entitlement for each units was 5000 LDT for 1985-86 and 6500 LDT for each of the years from 1986-87 to 1988-89. The total tonnage has been supplied at Alang and Sachana from 1985-86 upto 1988-89 is as follows:—

Year	At Alang	At Sachana
1985-86	3,73,315 LDT	53,391 LDT
1986-87	2,76.969 LDT	59,342 LDT
1987-88	78,586 LDT	3,923 LDT
1988-89	1,48,159 LDT	7,280 LDT
(As on 31-7-1988)		

(c) The availability of ships for breaking has become scarce in the international market and their prices have also increased. Current year's purchase policy of ships for breaking hasallowed individual units to locate and negotiate the price directly final approval by MSTC. The customs to supplement MSTC's purchase, subject to final approval by MSTC. The customs duty on import of ships for breaking has been reduced by Rs. 28.5 per LDT, MSTC's service charges fixed at 4 per cent subject to maximum of Rs. 60 per LDT and contribution by ship breaking units to Development Fund reduced from Rs. 25 to Rs. 5/- per LDT to make ship breaking economical.

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

1373. **श्रीमती रेणुका चौधरी :**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :
श्री राम नरेश यादव :
श्री राम जेठमलानी :

क्या खाद्य और नागरिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले छः महीनों में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में काफ़ वृद्धि हुई है ;